<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम) नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–49/2016</u>

मो0 आरिफ.....वादी

बनाम

बीवी ऐशा खातून एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>13.12.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। प्रतिवादी संख्या–1 की ओर से एक आवेदन दिनांक 17.11.2021 अंतर्गत आदेश 26 नियम 9 व धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दाखिल किया गया है, जिस संबंध में वादी की ओर से दिनांक 01.12.2021 को प्रत्युत्तर दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी संख्या–1 का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या–4 इसराफिल मियाँ के मौरूसी हिस्से की भूमि है जिसे वादी ने वादपत्र के मद नं0–2 में वर्णन किया है। वादी द्वारा स्वीकार किया गया है कि मद नं0–1 की भूमि प्रतिवादी संख्या–4 इसराफिल मियाँ की भूमि है तथा इसराफिल मियाँ द्वारा निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 11.05.2011 एवं 13.05.2011 द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या–1 को विक्रय कर दखल कब्जा दे दिया है। यह कि प्रतिवादी संख्या–1 प्रतिवादी संख्या–4 की पुत्री है तथा अपने ससुराल में रहती है तथा समय समय पर जाकर अपनी खरीदगी व पिता की अन्य जायदाद का जोत आबाद व देखभाल करती है। यह कि वादी प्रतिवादी संख्या–4 के सगे भाई का पोता है तथा मुकदमेबाज प्रवृति का व्यक्ति है। वादी ने इसराफिल मियाँ द्वारा जुबानी बख्शीस व खेष्टा चिट्ठा के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 की खरीदगी भूमि पर ण्ह झूठा मुकदमा किया है, जिसे प्रतिवादी संख्या–4 स्वयं उपस्थित होकर उसका खंडन किया है। यह कि प्रतिवादी संख्या–1 महिला है तथा वादग्रस्त भूमि से दूर नौतनवा में रहती है तथा उसी का नाजायज लाभ उठाकर वादी अपराधियों से सांठगांठ कर वादग्रस्त भूमि में शामिल खेसरा 172 रकबा 1 कट्ठा ढाई धूर भूमि का स्वरूप परिवर्तित करना चाहते हैं तथा पक्का निर्माण हेतु निर्माण सामग्री इकट्ठा किए हुए हैं। ऐसी दशा में अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर वर्तमान में वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन की माँग किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में वादी का कहना है कि प्रतिवादी संख्या–1 का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टि में चलने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि प्रतिवादी संख्या–1 को कोई अधिकार नहीं है कि वह अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु आवेदन दाखिल करें तथा प्रस्तुत आवेदन गलत तथ्यों पर दाखिल किया गया है। आवेदन के पारा 1 व 2 में प्रतिवादी संख्या–1 गलत बयान किया है कि वह बयनामा के आधार पर वादग्रस्त भूमि के दखल कब्जे में चली आ रही है। आवेदन के पारा 3 में भी प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा गलत आरोप वादी पर लगाया गया है तथा यह भी गलत बयान किया गया है कि इसराफिल मियाँ स्वयं उपस्थित होकर अपने बयान तहरीरी के माध्यम से जुबानी बख्शीस व खेष्टा से इनकार किया है। आवेदन के पारा 4 में गलत बयान किया गया है कि वादी खेसरा 172 रकबा 1 कट्ठा ढाई धूर भूमि का स्वरूप बदलने का प्रयास कर रहे हैं तथा निर्माण सामग्री एकत्रित किए हैं। दरअसल विवादित खेसरा 172 के उत्तर तरफ सालेहा

<u>लगातार</u>
<u>13.12.21</u>

खातून व जुमदीन मियाँ की भूमि है जिसमें से सालेहा खातून द्वारा खेसरा 172 में 10 धूर भूमि बीवी नवीहन बानो पति असलम मियाँ को बिक्री की गई है जिस पर नवीहन बानो द्वारा निर्माण किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 गलत बयानी के साथ आवेदन दाखिल की है तथा अधिवक्ता आयुक्त के माध्यम से साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। अतः प्रतिवादी संख्या–1 का आवेदन खारिज होने योग्य है।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि जिसका उल्लेख वादपत्र के मद नं0–1 में किया गया है, पर अधिकार, स्वत्व की घोषणा के साथ ही अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिदावा भी किया गया है। प्रतिवादी संख्या–1 का कहना है कि वादी वादग्रस्त भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने हेतु निर्माण सामग्री इकट्ठा किया है, ऐसी स्थिति में न्याय हित में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान वस्तु स्थिति के संबंध में अधिवक्ता आयुक्त से प्रतिवेदन की माँग किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रतिवादी संख्या–1 का आवेदन न्याय हित में स्वीकृत करते हुए व्यवहार न्यायालय नरकटियागंज के स्थानीय विद्वान अधिवक्ता श्री रजनिश मिश्र को अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की वस्तु स्थिति के संबंध में अपना प्रतिवेदन फोटोग्राफ्स के साथ न्यायालय में समर्पित करें। वास्ते अग्रिम कार्रवाई हेतु अभिलेख दिनांक 22.12.2021 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश(प्रथम)